



सत्यमेव जयते



कर्मचारी राज्य बीमा निगम/EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
HOSPITAL BHIWADI

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

**Ministry of Labour & Employment, Govt. of
India**



" प्लॉट नं.-1202, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज-3, सेक्टर-29, भिवाड़ी (राज)- (ISO 9001-2008
Certified) नं0-01493221206,07,08,09 E-Mail- ms-bhiwadi.rj@esic.nic.in

FILE: -153/A/R.O.COR./ESICH/BHD/2023

Date- 26.06.2023

CIRCULAR

In Pursuance to ESIC Regional Office, Jaipur letter no A-33015(33)/1/2022-MA. dated 19-06-2023 reg. sending the matter of Nursing Group A and B and Paramedical Group B and C officers/employees whose MACP is due till March-2024 (copy enclosed).

In this connection all Nursing Group A and B Paramedical Group B and C officers/employees are requested to submit their application along with the prescribed proforma to the administration branch before 30 -06-2023 so that the details of the such officers/employees may be sent to Regional Office, Jaipur for further necessary action.

(Signature)
26/6/23

(Dr. Punit P DungDung)
Medical Superintendent

End:- As Above.



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय
पंचदीप भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर - 302001
Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001
Phone - 0141-2989581 E-Mail : rd-rajasthan@esic.gov.in
Website : www.esic.gov.in / www.esic.in

क्रमांक : A-33015(33)/1/2022-M.A

दिनांक- 19-06-2023

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक/निदेशक प्रभारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी

क.रा.बी.नि. अस्पताल/उप क्षेत्रीय कार्यालय/डीसीबीओ,

अलवर/भिवाड़ी/जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/चित्तौड़गढ़/झुंझुनु।

विषय:- मार्च - 2024 तक MACP हेतु परिपक्व होने वाले नर्सिंग ग्रुप-ए व बी व पैरामेडिकल ग्रुप-बी व सी कार्मिकों के मामले प्रेषित करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयांतर्गत भारत सरकार के पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2015- स्थापना (डी) दिनांक 22/10/2019 द्वारा जारी "Consolidated Guidelines regarding MACP for the Central Government Civilian Employees" के पैरा 6 के अनुसार प्रत्येक 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के तहत परिपक्व होने वाले MACP मामलों के लिए स्क्रीनिंग प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में तथा 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक की अवधि में परिपक्व होने वाले MACP प्रकरणों की स्क्रीनिंग जुलाई के प्रथम सप्ताह में अग्रिम स्क्रीनिंग किये जाने के निर्देश हैं ।

अतः अनुरोध है कि ऐसे नर्सिंग ग्रुप-ए व बी व पैरामेडिकल ग्रुप-बी व सी संवर्ग से संबंधित कार्मिक, जिनकी MACP मार्च-2024 तक देय है, से संबंधित सूचना मय सतर्कता टिप्पणी (Excl format) एवं सेवा विवरण फॉर्म (संलग्न प्रोफार्मा में) के साथ दिनांक 05.07.2023 तक इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करें ताकि एमएसीपी हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का आयोजन किया जा सके ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

भवदीय,

संलग्न - यथोपरि।